

फर्त अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर भागीण

गिराज वगै०

बनाम

औंकार वगै०


का नं० - 175/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही 08.08.2024	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
--	----------------------	-------------

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अपार्थी सं० 1 लगातय 5 अनु०। इनको बार-बार आज्ञा लगावाई गई तथा इन्तजार किया लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अपार्थी सं० 1 लगातय 5 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अगल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की मज्जीत बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम बोबाडी, पटवार इल्का बोबाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 887/859 रकबा 0.3075 है० में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अपार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते हैं तो उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

  
 उप खण्ड अधिकारी  
 (ललिज सीता)  
 जमवारामगढ  
 उपखण्ड अधिकारी  
 जमवारामगढ